

2



संचिका सं०-टी०-२/शिक्षु-१७/२०१८.....753  
 बिहार सरकार  
 श्रम संसाधन विभाग  
 निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)  
 नियोजन भवन, चतुर्थतल, बेलीरोड, पटना-०१



प्रेषक,

विजय प्रकाश मीणा, भा०प्र०से०  
 निदेशक-सह-  
 स्टेट अप्रेंटिसशीप एडवाइजर  
 नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
 बिहार, पटना।

सेवा में,

- 1 अध्यक्ष,  
बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुर्ननिर्माण सोसायटी/ बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड/ बिहार स्टेट हेरिटेज डेवलपमेंट सोसायटी।
- 2 अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
बिहार रुरल रोड डेवलपमेन्ट एजेंसी।
- 3 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
बिहार स्टेट डिजास्टर मनेजमेन्ट ऑथोरिटी/बिहार बिल्डिंग एण्ड अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड/बिहार रुरल डेवलपमेन्ट सोसायटी/पटना मेट्रोपोलिटन/बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन/ बिहार बोर्ड ऑफ ओपेन स्कूलिंग एण्ड एग्जामिनेशन/बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति।
- 4 नगर आयुक्त,  
नगर निगम, पटना / गया / भागलपुर / मुजफ्फरपुर / मुंगेर / पूर्णिया / दरभंगा / पश्चिम चम्पारण/ भोजपुर/ बेगूसराय/ सारण/ कटिहार/ नालन्दा/पूर्वी चम्पारण / रोहतास/ समस्तीपुर / मधुवनी / सीतामढ़ी / सहरसा।
- 5 निदेशक,  
संग्राहलय/बिहार स्टेट सीड और ऑरगैनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी।
- 6 प्रबंधक निदेशक,  
बिहार स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन/बिहार राज्य वीज निगम लि०/ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०/बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०/बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०/बिहार स्टेट बिल्डिंग कॉरपोरेशन लि०/बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लि०/ बिहार स्टेट फुड और सीविल सप्लायर कॉरपोरेशन लि०।
- 7 मिशन निदेशक,  
बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना।
- 8 कार्यपालक निदेशक,  
स्टेट आयुष सोसायटी/स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी।

पटना, दिनांक-04.04.2022

विषय:-  
महाशय,

Apprentices Act, 1961 (शिक्षु अधिनियम 1961) का अनुपालन कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अपने-अपने कार्यालयों/संगठनों (प्रतिष्ठान) में शिक्षु अधिनियम 1961 का दृढ़ता से अनुपालन कराते हुए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई किया जाना है।





उक्त के आलोक में Apprentices Act, 1961 (शिक्षु अधिनियम 1961) के अनुपालन के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश के प्रमुख बिन्दु का उल्लेख निम्नवत है:-

- Establishments having 30 or more workforce (including contractual staff) can engage apprentices within a band of 2.5% to 15%.
- Introduction of optional trades with discretion to industry to design course if required.
- Dedicated apprenticeship portal ([www.apprenticeship.gov.in](http://www.apprenticeship.gov.in)) contains registrations, automated processes, online claims, processes, etc.
- Labour Law will not be applicable to Apprentices.

#### Offences and Penalties

- If any employer contravenes any provision of this act relating to the number of apprentices which he is required to engage under those provisions he shall be given a month's previous notice in writing, by an officer duly authorized in this behalf by the appropriate government, for explaining the reasons for such contraventions.
- In case the employer fails to reply the notice within the period specified under section 30, sub section (1) of Apprentices Act 1961 (Amended up to 2014), Authorized officer after giving him an opportunity of being heard, is not satisfied with the reasons given by the employer, he shall be punishable with fine of five hundred rupees per shortfall of apprenticeship month for first three months and thereafter one thousand rupees per month till such number of seats are filled up.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा किया जाये, और कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

(विजय प्रकाश मीणा)

निदेशक-सह-

स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-टी0-2/शिक्षु-17/2018..... 753 ..... पटना, दिनांक- 04.04.2022

प्रतिलिपि:-1 उप निदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु) को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित राज्य के सभी विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में शिक्षु अधिनियम 1961 का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

2 आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(विजय प्रकाश मीणा)

निदेशक-सह-

स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।





संचिका सं०-टी०-२/शिक्षु-१७/२०१८.....७५५

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)  
नियोजन भवन, चतुर्थतल, बेली रोड, पटना-०१



प्रेषक,

विजय प्रकाश मीणा, भा०प्र०से०  
निदेशक-सह-  
स्टेट अप्रेंटिसशीप एडवाइजर  
नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंधक निदेशक,

बिहार विकास मिशन/बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्सन कॉरपोरेशन लि०/ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०/ बिहार राज्य रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०/बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०/बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०/बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि०/बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि०/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि०/बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लि०/बिहार स्टेट वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०/बिहार राज्य दूध को - ओपरेटिव फेडरेशन लि० (COMFED)/वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार/बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०/बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०/बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जिविका)/बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट लि०/बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/बिहार राज्य मार्ग परिवहन निगम/ बिहार स्टेट आवास बोर्ड/बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि०/ बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि०/ बिहार रिन्यूवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेंडा)/ बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन/ संजीवनी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना।

पटना, दिनांक-०५.०५.२०२१

विषय:-

Apprentices Act, 1961 (शिक्षु अधिनियम 1961) का अनुपालन कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

निदेशालय, पत्रांक-3096 दिनांक-27.07.2021.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में स्मारित करना है कि निदेशालय पत्रांक-3096 दिनांक-27.07.2021 द्वारा अपने-अपने कार्यालयों/संगठनों (प्रतिष्ठान) में शिक्षु अधिनियम 1961 का दृढ़ता से अनुपालन कराते हुए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।

उक्त के आलोक में Apprentices Act, 1961 (शिक्षु अधिनियम 1961) के अनुपालन के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश के प्रमुख बिन्दु का उल्लेख निम्नवत है:-

- Establishments having 30 or more workforce (including contractual staff) can engage apprentices within a band of 2.5% to 15%.
- Introduction of optional trades with discretion to industry to design course if required.
- Dedicated apprenticeship portal ([www.apprenticeship.gov.in](http://www.apprenticeship.gov.in)) contains registrations, automated processes, online claims, processes, etc.
- Labour Law will not be applicable to Apprentices.
- for first three months and thereafter one thousand rupees per month till such number of seats are filled up.



### Offences and Penalties

- If any employer contravenes any provision of this act relating to the number of apprentices which he is required to engage under those provisions he shall be given a month's previous notice in writing, by an officer duly authorized in this behalf by the appropriate government, for explaining the reasons for such contraventions.
- In case the employer fails to reply the notice within the period specified under section 30, sub section (1) of Apprentices Act 1961 (Amended up to 2014), Authorized officer after giving him an opportunity of being heard, is not satisfied with the reasons given by the employer, he shall be punishable with fine of five hundred rupees per shortfall of apprenticeship month for first three months and thereafter one thousand rupees per month till such number of seats are filled up.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा किया जाये, और कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

(विजय प्रकाश मीणा)

निदेशक-सह-

स्टेट अप्रेंटिसशीप एडवाइजर  
नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-टी0-2/शिक्षु-17/2018.....<sup>754</sup>..... पटना, दिनांक-<sup>04.04.2022</sup>  
प्रतिलिपि:-1 उप निदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु) को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित राज्य के सभी विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में शिक्षु अधिनियम 1961 का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।  
<sup>2</sup> आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(विजय प्रकाश मीणा)

निदेशक-सह-

स्टेट अप्रेंटिसशीप एडवाइजर  
नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
बिहार, पटना।